

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
663

पत्रांक-13/अप्र0-02-05/2024
प्रेषक,

पटना, दिनांक-17/1/2025

आदित्य प्रकाश
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:- मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उपशीर्ष-00- लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास उप शीर्ष-0316- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राज्यांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में संशोधित प्रावधान कुल राशि ₹ 66672.00 लाख (छः सौ छियासठ करोड़ बहत्तर लाख) ₹0 के विरुद्ध राशि ₹ 16376.00 लाख (एक सौ तिरसठ करोड़ छिहत्तर लाख) ₹0 मात्र की राशि व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उपशीर्ष-00- लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास उप शीर्ष-0316- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राज्यांश) के अन्तर्गत संशोधित प्रावधान कुल राशि ₹ 66672.00 लाख (छः सौ छियासठ करोड़ बहत्तर लाख) ₹0 मात्र के विरुद्ध ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-P-17024/4/2012-RC(Vol-II) (eFMS No-341634), Dt- 01.01.2025 से केन्द्रांश के रूप में द्वितीय ट्रॉच द्वितीय किस्त की विमुक्त राशि के सापेक्ष राज्यांश मद की राशि 16376.00 लाख (एक सौ तिरसठ करोड़ छिहत्तर लाख) ₹0 मात्र को बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के Single Nodal Account, खाता संख्या-11111137916 में उपलब्ध कराने की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का व्यय मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- उपशीर्ष-00- लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास उप शीर्ष-0316- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राज्यांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। जिसका विपत्र कोड-37-4515001030316 एवं विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य है।


3. वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के Single Nodal Account खाता संख्या-11111137916, IFSC Code- SBIN0006379 में संधारित करेंगे।

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित निर्धारित नीति निर्देश में निहित प्रावधानों के आलोक में योजनाओं का कार्यान्वयन एवं व्यय किया जायेगा।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित


5. साचव, बा0आर0आर0डा0ए0 उपलब्ध कराया गया राश का उपयोगता प्रमाण पत्र समय सीमा के अंदर ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. इस योजना के अंतर्गत राशि की निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम0-05-98-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-ब-15/बी0एस0जी0-09/2024-214 दिनांक- 06.03.2024 एवं पत्रांक-478 दिनांक- 06.08.2024 के आलोक में की जायेगी।
7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ0प्र0-02-05/2024 के पृष्ठ संख्या- 28/टि0 पर एवं दिनांक- 14.01.2025 को प्राप्त है।
8. इस योजना की उक्त राशि के व्यय हेतु अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-13/अ0प्र0-02-05/2024 के पृ0- 28/टि0 पर दिनांक- 15.01.2025 को प्राप्त है।

विश्वसभाजन


सरकार के अवर सचिव
/पटना, दिनांक 17/1/2025


ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-05/2024 663

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव
/पटना, दिनांक


ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-05/2024

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ अभियंता प्रमुख, ग्रा0का0वि0/ सचिव, ब्राडा ग्रा0का0वि0/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग (योजना शाखा) एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव
/पटना, दिनांक 17/1/2025

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-05/2024 663

प्रतिलिपि:- प्रबंधक सूचना प्रावैधिकी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ग्रामीण कार्य विभाग के बेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड कर दी जाय।


सरकार के अवर सचिव